रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1372] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 3, 2016/ज्येष्ठ 13, 1938
No. 1372] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 3, 2016/JYAISTHA 13, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2016

का.आ. 1968(अ).— निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

पार्वती अर्ग पक्षी अभयारण्य, उत्तर प्रदेश के गौंडा जिले में अवस्थित है और यह 11 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है ;

और, यह अभयारण्य वनस्पति और जीवजंतु के समृध्द जैविक महत्त्व का प्रतिनिधित्व करता है । अभयारण्य में सर्दी ऋतु के दौरान लगभग 30 पक्षी प्रजातियों का वास है;

इस अभयारण्य में बार हेडिड हंस, नीलसर, सीखपर, सामान्य टिकरी, लालसर, कॉम्ब बत्तख, गडवाल, रूडिशेलबत्तख आदि पक्षी रहते है। प्रमुख स्थानीय पक्षी प्रजातियों में छोटी ग्रेबे, छोटा जलकौवा, भारतीय पौड बगुला, कैटल इगैट, ओपन बिल स्टोर, सरूस क्रैन, ब्लैक इबिस, पर्पल स्वरूप मुर्गी आदि सम्मिलित है। अभयारण्य स्थानीय निवासी प्रजातियों की बृहत संख्या के साथ अत्यधिक विविध जलीय वनस्पतियों का प्रतिनिधित्व भी करता है;

और, पार्वती अर्ग पक्षी अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य में पार्वती अर्ग पक्षी अभयारण्य के चारों ओर 6.50 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को पार्वती अर्ग पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं, अर्थात्:-

1.**पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन पार्वती अर्ग पक्षी अभयारण्य की सीमा से 6.50 किलोमीटर तक होगा और ऐसे जोन की सीमाओं का वर्णन **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है |

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध II** में दी गई है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र, उसकी सीमा के ब्यौरों तथा अक्षांश और देशांतर सहित **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आचंलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(3) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(4) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन;

(iii) शहरी विकास;

(iv) पर्यटन;

(v) नगरपालिका;

(vi) राजस्व;

(vii) कृषि;

(viii) उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(ix) सिंचाई;

(x) लोक निर्माण विभाग ।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोधान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्रम सं0 10, 21, 30, 34 और 35 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए पारिस्थितिक अनुकूल कुटीर जैसे टैंट, काष्ठ गृह;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधाजनक स्टोर और स्थानीय सुख-सुविधाएं सम्मिलित हैं ; और

(v) वर्षा जल संचय :

परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, आंचलिक महायोजना का भाग रूप में होंगे ।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग,उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य सरकार के वन और पर्यावरण विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा पारिस्थितिक पर्यटन राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटलों और सैरगाहों के नए संनिर्माण पार्वती अर्ग पक्षी अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन संबद्ध पर्यटकों के अस्थायी व्यवसाय के लिए अनुज्ञात होंगे अन्यथा नहीं ।

परंतु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक नए होटल और रिसोर्ट की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधा के लिए पूर्व परिभाषित और विनिर्दिष्ट स्थान में ही अनुज्ञात किया जाएगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना जि.एस. आर 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) औद्योगिक इकाईयां - (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची – पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
1	2	3
प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खन्न, उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण

		या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	आरा मीलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
4.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले उद्योग का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
5.	मुख्य तापीय और जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
7.	दुकानदारों द्वारा प्लास्टिक के बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
8.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे वायुयान, गर्म वायु गुब्बारों का राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
9.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
विनियमित क्रियाकलाप		
10.	होटल और रिसोर्ट की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी व्यवसाय के लिए आवास के संबंध में पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर ही नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों को अनुज्ञात किया जाएगा अन्यथा नहीं: तथापि, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के मार्गदर्शक सिद्धांतों की अनुरूपता में होगा।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की एक किलोमीटर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी । (ख) ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे ।

		(ग) एक किलोमीटर से आगे और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक वास्तविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण की अनुज्ञा दी जाएगी और अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे।
12.	भूमि में खाई खोदना ।	भूमि में नई खाई खोदने का कार्य प्रतिषिद्ध है । भूमि में पुरानी खुदी हुई खाइयां लागू विधियों के अधीन विनियमित की जानी हैं।
13.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
14.	वायु और यानिय प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
15.	ध्वनि प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
16.	भू-जल का निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
17.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किन्ही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे; (ग) आरक्षित वन और संरक्षित वन की दशा में निर्धारित कार्य योजना का अनुपालन किया किया जाएगा ।
18.	प्रवासी चारागाहें ।	लागू विधियों के अधीन और आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
19.	विद्यामान स्थापना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
20.	विद्युत लाइनों का परिनिर्माण ।	भूमिगत केबल बिछाए जाने को प्रोत्साहित करना। पारिस्थितिक संवेदी जोन से गुजर कर जाने वाली सभी विद्यमान विद्युत लाइनें आंचलिक महायोजना के अधीन विहित समय सीमा में पर्याप्त रूप से विद्युतरुद्ध की जाएंगी ।
21.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना ।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
22.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । वन्यजीवों के निर्बाध संचलन को अनुज्ञात करने के लिए पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटलों या अन्य वाणिज्यिक स्थापन अपनी संपत्तियों में कांटेदार तार नहीं लगाएंगे और कोई और कोई भी बाड एक मीटर से अधिक ऊंची नहीं होगी। इस अनुबंध का अनुपालन न करने वाली विद्यमान बाड़ को आंचलिक महायोजना में उल्लिखित समय सीमाओं के अनुसार उपांतरित किया जाएगा ।
23.	लघु मात्रा में चारे का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
24.	कृषि प्रणालियों में भारी परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	प्राकृतिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू जल संचयन भू है, का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	विदेशी प्रजातियों के लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

28.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
29.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	जब तक आंचलिक महायोजना के अधीन अनुज्ञात न किया जाए जब तक 1 से 10 मीटर के पहाड़ी ढलानों पर और किसी नदी तट और प्राकृतिक नाले से 100 मीटर तक कोई संन्निर्माण क्रियाकलाप नहीं किया जाएगा।
30.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, कृषि उद्यान या कृषि आधारित उद्योग, जो में देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन करते हैं और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, को अनुज्ञात किया जाएगा ।
संवर्धित क्रियाकलाप		
31.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, डेयरी उद्योग, एक्वाकल्चर और मत्स्य पालन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
33.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
34.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
35.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
36.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।

5. मानीटरी समिति - (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी को लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i) जिला कलेक्टर - अध्यक्ष

(ii) पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक विशेषज्ञ - सदस्य ;

(iii) (पर्यावरण जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) गैर सरकारी संगठन का, भारत सरकार द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक प्रतिनिधि - सदस्य ;

(iv) क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - सदस्य ;

(v) लोक निर्माण विभाग, मैनपुरी का प्रतिनिधि- सदस्य;

(vi) सिंचाई विभाग, मैनपुरी का प्रतिनिधि- सदस्य ;

(vii) संबद्ध प्रभाग वन अधिकारी– सदस्य सचिव ।

6. निर्देश निबंधन -

(1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलक्टर या संबंधित उद्यान के उप-वन संरक्षक, कोई व्यक्ति जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, उसके विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(5) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधि प्रति मुद्दे की अपेक्षाओं के अनुसार विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध IV** पर उपाबद्ध प्रारूप पर 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/3/2016-ईएसजेड-आरई]

डा. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध -I

पारिस्थितिक संवेदी जोन के निर्देशांक और पार्वती अर्ग पक्षी अभयारण्य की सीमा के भू- निर्देशांक अभयारण्य सीमा

क्र.सं.	**दिशा**	**निर्देशांक**
ए	उत्तर	26 57 32.46 उ 082 10 29.41 पू
बी	दक्षिण	26 54 18.12 उ 082 09 06.41 पू
सी	पूर्व	26 56 15.56 उ 082 10 50.67 पू
डी	पश्चिम	26 56 27.28 उ 082 07 21.03 पू

पारिस्थितिक संवेदी जोन

क्र.सं.	**दिशा**	**निर्देशांक**
ए	उत्तर	26 58 04.82 उ 082 10 30.06 पू
बी	दक्षिण	26 53 45.86 उ 082 09 06.40 पू

सी	पूर्व	26 56 15.53 उ 082 11 26.96 पू
डी	पश्चिम	26 57 41.91 उ 082 04 55.67 पू

उपाबंध-II

पार्वती अर्ग पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले राजस्व ग्रामों की सूची

क्र.सं.	जिला	तहसील	राजस्व ग्राम	देशांतर	अक्षांश
1	2	3	4	8	9
1	गोंदा	ताराबगंग	नाउबसता	उ 26^0 57.770	पू 082^0 04.671
2	गोंदा	ताराबगंग	रामचेरापुर	उ 26^0 57.355	पू 082^0 04.609
3	गोंदा	ताराबगंग	माझाउरा	उ 26^0 56.891	पू 082^0 04.568
4	गोंदा	ताराबगंग	कदीपुर	उ 26^0 56.425	पू 082^0 05.780
5	गोंदा	ताराबगंग	माहावेवा	उ 26^0 57.573	पू 082^0 07.108
6	गोंदा	ताराबगंग	कोदर	उ 26^0 56.420	पू 082^0 05.777
7	गोंदा	ताराबगंग	हजरतपुर	उ 26^0 55.980	पू 082^0 06.137
8	गोंदा	ताराबगंग	वजीरगंज	उ 26^0 57.432	पू 082^0 07.172
9	गोंदा	ताराबगंग	भतपुरवा	उ 26^0 55.781	पू 082^0 06.913
10	गोंदा	ताराबगंग	कन्नीपुर	उ 26^0 57.281	पू 082^0 08.253
11	गोंदा	ताराबगंग	पोरेधाधो	उ 26^0 56.566	पू 082^0 08.249
12	गोंदा	ताराबगंग	रामपुर	उ 26^0 57.159	पू 082^0 04.108
13	गोंदा	ताराबगंग	चंदापुर	उ 26^0 56.014	पू 082^0 09.245
14	गोंदा	ताराबगंग	अनभुला	उ 26^0 55.063	पू 082^0 07.100
15	गोंदा	ताराबगंग	खानपुर	उ 26^0 54.763	पू 082^0 06.442
16	गोंदा	ताराबगंग	परसापुर	उ 26^0 54.006	पू 082^0 07.224
17	गोंदा	ताराबगंग	सुभागपुर	उ 26^0 54.309	पू 082^0 09.010
18	गोंदा	ताराबगंग	चकवन	उ 26^0 52.545	पू 082^0 09.250
19	गोंदा	ताराबगंग	अजबनगर	उ 26^0 54.885	पू 082^0 08.348
20	गोंदा	ताराबगंग	मधवापुर	उ 26^0 56.718	पू 082^0 10.991
21	गोंदा	ताराबगंग	तीखादिया	उ 26^0 57.472	पू 082^0 10.246
22	गोंदा	ताराबगंग	कोथापुर	उ 26^0 56.586	पू 082^0 10.110
23	गोंदा	ताराबगंग	हरीहरपुर	उ 26^0 54.315	पू 082^0 09.186

24	गोंदा	ताराबगंग	कल्याणपुर	उ 26⁰ 52.546	पू 082⁰ 09.249
25	गोंदा	ताराबगंग	चानदाहा	उ 26⁰ 58.365	पू 082⁰ 09.906
26	गोंदा	ताराबगंग	बहादुरा	उ 26⁰ 55.665	पू 082⁰ 10.113
27	गोंदा	ताराबगंग	पार्वती	उ 26⁰ 57.455	पू 082⁰ 10.683
28	गोंदा	ताराबगंग	कोलहमपुर	उ 26⁰ 53.999	पू 082⁰ 11.638
29	गोंदा	ताराबगंग	गणेशपुर ग्रेंट्ट	उ 26⁰ 58.908	पू 082⁰ 10.369
30	गोंदा	ताराबगंग	लक्ष्मणपुर	उ 26⁰ 57.455	पू 082⁰ 10.683
31	गोंदा	ताराबगंग	गौरिया	उ 26⁰ 56.874	पू 082⁰ 10.989
32	गोंदा	ताराबगंग	लोहरादाद	उ 26⁰ 56.156	पू 082⁰ 12.039
33	गोंदा	ताराबगंग	किशुनदासपुर	उ 26⁰ 55.300	पू 082⁰ 10.798
34	गोंदा	ताराबगंग	कोलहमपुर विसेन	उ 26⁰ 54.576	पू 082⁰ 11.613
35	गोंदा	ताराबगंग	जटमलपुर	उ 26⁰ 57.176	पू 082⁰ 11.842
36	गोंदा	ताराबगंग	टिकरी	उ 26⁰ 55.836	पू 082⁰ 11.740
37	गोंदा	ताराबगंग	दयालपुर	उ 26⁰ 55.110	पू 082⁰ 11.497
38	गोंदा	ताराबगंग	खादागपुर	उ 26⁰ 52.542	पू 082⁰ 05.149
			कुल		

उपाबंध -III

अक्षांश और देशांतर के साथ पार्वती अर्ग पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र

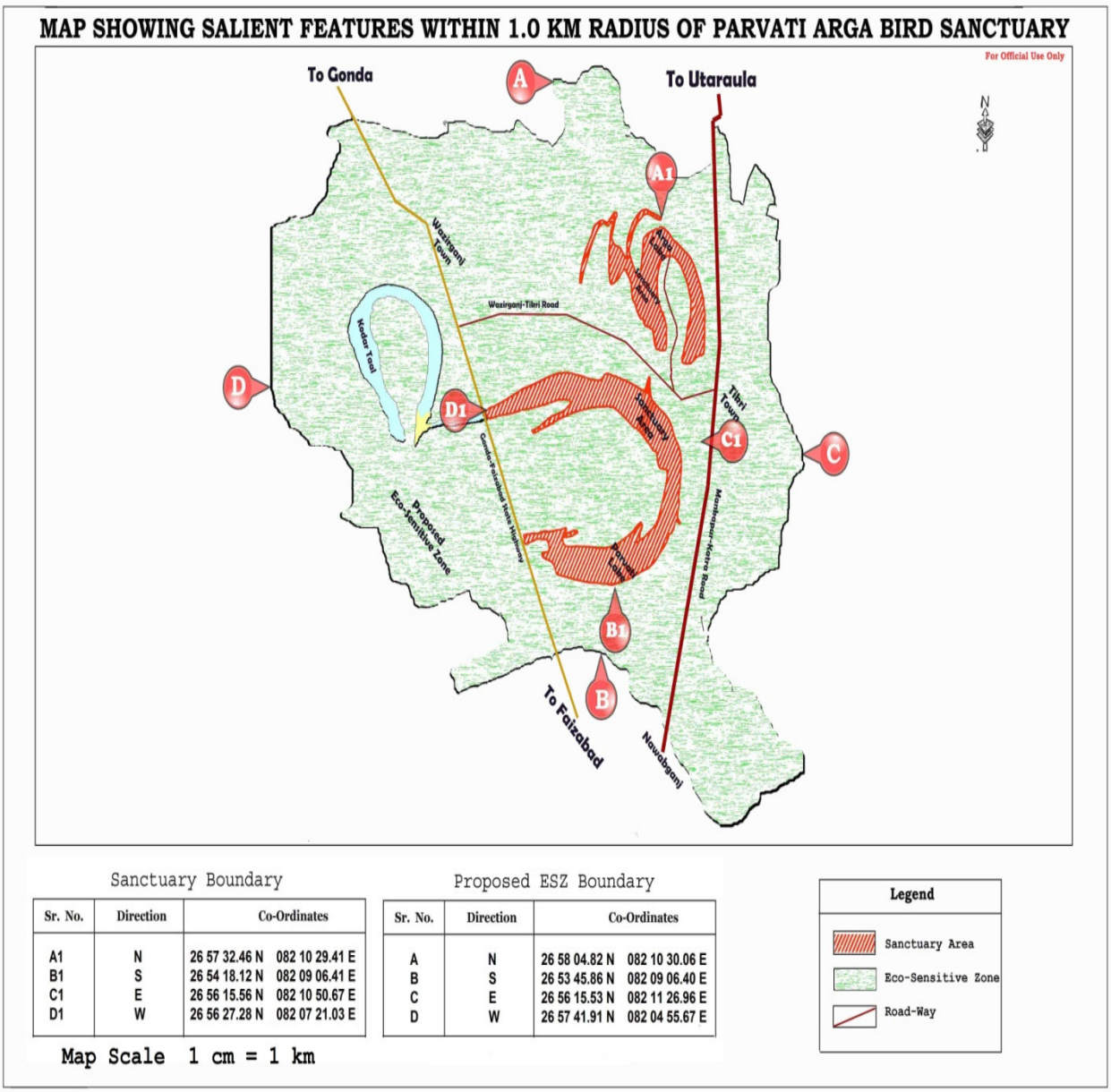

उपाबंध -IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति—की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।

6. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2016

S.O. 1968(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in.

Draft Notification

Whereas, the Parvati Arga Bird Sanctuary situated in Gonda District of Uttar Pradesh over an area of about 11 square kilometers.

And Whereas, the flora and fauna represent rich biological significance of this sanctuary. The sanctuary harbours about 30 species of birds during the winter season.

The birds visiting this sanctuary are Bar Headed Goose, Neelsar, Pintail, Common Coot, Red Crested Pochard, Comb Duck, Gadwall, Rudyshelduck etc. Prominent local bird species includes Little Grebe, Little Cormorant, Indian Pond Heron, Cattle Egret, Open Bill Stor, Sarus Crane, Black Ibis, Purple Swamp Hen. The sanctuary is also represented by large number of local resident species as well as highly diverse aquatic flora.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Parvati Arga Bird Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent upto 6.50 kilo meter around the boundary of Parvati Arga Bird Sanctuary in the State of Uttar Pradesh as the Parvati Arga Bird Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-sensitive Zone shall be an extent upto 6.50 kilometer from the boundary of Parvati Arga Bird Sanctuary and the boundary description of such zone is appended as Annexure-I.

(2) The list of villages falling in proposed Eco-sensitive Zone is given in Annexure-II.

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as Annexure-III.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

(vii) Agriculture;

(viii) Uttar Pradesh State Pollution Control Board;

(ix) Irrigation; and

(x) Public Works Department.

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 10,21,30,34 and 35 in column (2) of the table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities;

(ii) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) rainwater harvesting; and

(v) cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, Government of Uttar Pradesh in consultation with Department of Forests and Environment of the State Government.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone.

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Parvati Arga Bird Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected areas till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Uttar Pradesh State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Uttar Pradesh State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluents in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial units.-** (a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except

	quarrying and crushing units.	for the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal use. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim orders of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
5.	Establishment of new major thermal and hydro-electric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Use of polythene bags by shopkeeper.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the national park area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated Activities		
10.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansion of existing activities would in conformity with the Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidliines.
11.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area: Provided that local people shall be permitted to undertake construction in their land for residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: (b) Provided further that the construction activity related to

		small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometer upto the extent of Eco-sensitive Zone, construction for bone fide local needs shall be permitted and other construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan.
12.	Trenching ground.	Establishment of new trenching ground is prohibited. Old trenching grounds are to be regulated under applicable laws.
13.	Discharge of treated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Regulated under applicable laws.
14.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
15.	Noise pollution.	Regulated under applicable laws.
16.	Extraction of ground water.	Regulated under applicable laws.
17.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government; (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder. (c) In case of reserve forests and protected forests, the working plan prescriptions shall be followed.
18.	Migratory graziers.	Regulated under applicable laws and as per Zonal Master Plan.
19.	Existing establishments.	Regulated under applicable laws.
20.	Erection of electric lines.	Promote underground cabling. All existing electric lines passing through the Eco-sensitive Zone shall be adequately insulated in the time frame prescribed under the Zonal Master Plan.
21.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
22.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws. In order to allow free movement of wildlife, hotels or other commercial establishments within the Eco-sensitive Zone shall not fence their properties with barbed wire and no fence shall be higher than 1 meter. Any existing fence not complying with this stipulation shall be modified as per the time lines mentioned in the Zonal Master Plan.
23.	Collection of small fodder.	Regulated under applicable laws.
24.	Drastic change of agricultural system.	Regulated under applicable laws.
25.	Commercial use of natural water resource including ground water harvesting.	Regulated under applicable laws.
26.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated under applicable laws.

27.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
28.	Sign board and hoardings.	Regulated under applicable laws.
29.	Protection of hill slopes and river banks.	No construction activity unless otherwise permitted by or under the Zonal Master Plan shall be undertaken on the hill with slopes more than 1 to 10 and also upto 100 meters from the banks of any river, and natural nallah.
30.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
Permitted Activities		
31.	On going agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
35.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
36.	Use of renewable energy sources.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:—

(i)	District Collector	-Chairman
(ii)	An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Uttar Pradesh for a period of one year.	-Member
(iii)	One representative of non-Governmental Organisation (working in the field of environment including heritage conservation) to be nominated by the Government of India for a period of one year.	-Member
(iv)	Regional Officer, Uttar Pradesh State Pollution Control Board	-Member
(v)	Representative of Public Works Department, Mainpuri	-Member
(vi)	Representative of Irrigation Department, Mainpuri	-Member
(vii)	Concerned Divisional Forest Officer	-Member-Secretary.

6. Terms of Reference.- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The activities that are covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the Park in-Charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned departments, Industry Associations or stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per pro forma appended at Annexure IV.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/3/2016-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

TABLE SHOWING GEO-COORDINATES OF BOUNDARY

OF PARVATI ARGA BIRD SANCTUARY AND CO-ORDINATES OF ECO-SENSITIVE ZONE

Sanctuary Boundary

S.No.	Direction	Co-Ordinates
A	**N**	26 57 32.46 N 082 10 29.41 E
B	**S**	26 54 18.12 N 082 09 06.41 E
C	**E**	26 56 15.56 N 082 10 50.67 E
D	**W**	26 56 27.28 N 082 07 21.03 E

Eco-sensitive Zone Boundary

S.No.	Direction	Co-Ordinates
A	**N**	26 58 04.82 N 082 10 30.06 E
B	**S**	26 53 45.86 N 082 09 06.40 E
C	**E**	26 56 15.53 N 082 11 26.96 E
D	**W**	26 57 41.91 N 082 04 55.67 E

ANNEXURE-II

List of Revenue Villages falling under Parvati Arga Eco-Sensitive Zone

Sl. No.	District	Tehsil	Revenue Village	Longitude	Latitude
1	2	3	4	8	9
1	Gonda	Tarabgang	Naubasta	N 26^0 57.770	E 082^0 04.671
2	Gonda	Tarabgang	Ramcherapur	N 26^0 57.355	E 082^0 04.609
3	Gonda	Tarabgang	Majhaura	N 26^0 56.891	E 082^0 04.568
4	Gonda	Tarabgang	Kadipur	N 26^0 56.425	E 082^0 05.780
5	Gonda	Tarabgang	Mahaveva	N 26^0 57.573	E 082^0 07.108
6	Gonda	Tarabgang	Kodar	N 26^0 56.420	E 082^0 05.777
7	Gonda	Tarabgang	Hazratpur	N 26^0 55.980	E 082^0 06.137
8	Gonda	Tarabgang	Wazirganj	N 26^0 57.432	E 082^0 07.172
9	Gonda	Tarabgang	Bhatpurwa	N 26^0 55.781	E 082^0 06.913
10	Gonda	Tarabgang	Kannipur	N 26^0 57.281	E 082^0 08.253
11	Gonda	Tarabgang	Poore Dhaadhoo	N 26^0 56.566	E 082^0 08.249
12	Gonda	Tarabgang	Rampur	N 26^0 57.159	E 082^0 04.108
13	Gonda	Tarabgang	Chandapur	N 26^0 56.014	E 082^0 09.245
14	Gonda	Tarabgang	Anbhula	N 26^0 55.063	E 082^0 07.100
15	Gonda	Tarabgang	Khaanpur	N 26^0 54.763	E 082^0 06.442
16	Gonda	Tarabgang	Parsapur	N 26^0 54.006	E 082^0 07.224
17	Gonda	Tarabgang	Subhagpur	N 26^0 54.309	E 082^0 09.010
18	Gonda	Tarabgang	Chakwan	N 26^0 52.545	E 082^0 09.250
19	Gonda	Tarabgang	Ajabnagar	N 26^0 54.885	E 082^0 08.348
20	Gonda	Tarabgang	Madhwapur	N 26^0 56.718	E 082^0 10.991
21	Gonda	Tarabgang	Tikhadia	N 26^0 57.472	E 082^0 10.246
22	Gonda	Tarabgang	Kothapur	N 26^0 56.586	E 082^0 10.110
23	Gonda	Tarabgang	Hariharpur	N 26^0 54.315	E 082^0 09.186
24	Gonda	Tarabgang	Kalyanpur	N 26^0 52.546	E 082^0 09.249
25	Gonda	Tarabgang	Chandaha	N 26^0 58.365	E 082^0 09.906
26	Gonda	Tarabgang	Bahadura	N 26^0 55.665	E 082^0 10.113
27	Gonda	Tarabgang	Parvati	N 26^0 57.455	E 082^0 10.683
28	Gonda	Tarabgang	Kolhampur	N 26^0 53.999	E 082^0 11.638
29	Gonda	Tarabgang	Ganeshpur Grantt	N 26^0 58.908	E 082^0 10.369
30	Gonda	Tarabgang	Lakshamanpur	N 26^0 57.455	E 082^0 10.683
31	Gonda	Tarabgang	Gauriya	N 26^0 56.874	E 082^0 10.989
32	Gonda	Tarabgang	Lohra daad	N 26^0 56.156	E 082^0 12.039
33	Gonda	Tarabgang	Kishundaspur	N 26^0 55.300	E 082^0 10.798
34	Gonda	Tarabgang	Kohlampur Visen	N 26^0 54.576	E 082^0 11.613
35	Gonda	Tarabgang	Jatmalpur	N 26^0 57.176	E 082^0 11.842
36	Gonda	Tarabgang	Tikri	N 26^0 55.836	E 082^0 11.740
37	Gonda	Tarabgang	Dayalpur	N 26^0 55.110	E 082^0 11.497
38	Gonda	Tarabgang	Khadagpur	N 26^0 52.542	E 082^0 05.149
			Total		

ANNEXURE-III

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF PARVATI ARGA BIRD SANCTUARY WITH LATITUDES AND LONGITUDES

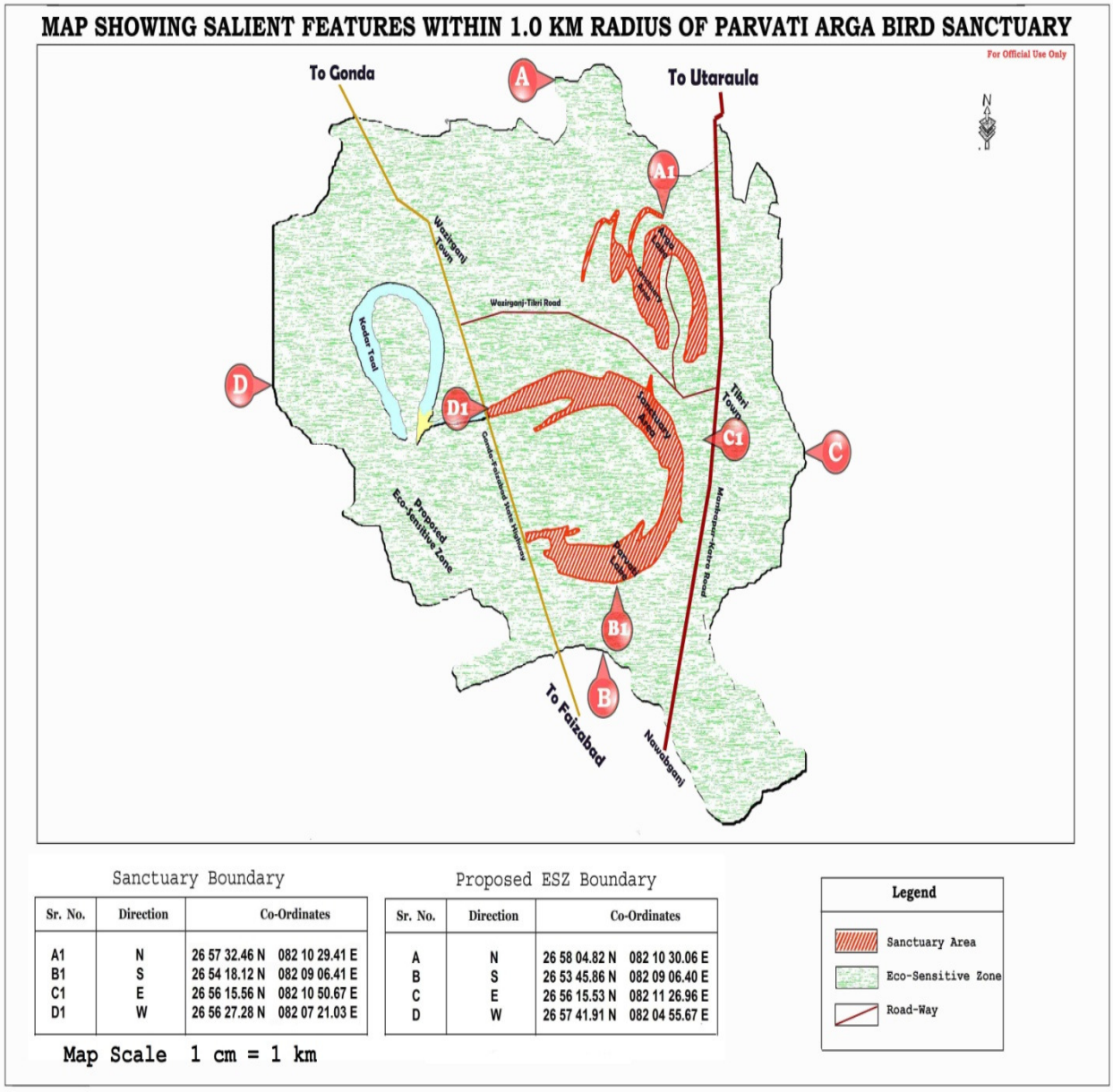

ANNEXURE-IV

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.

4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as annexure.

5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. Details may be attached as separate annexure.

6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. Details may be attached as separate annexure.

7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.

8. Any other matter of importance:

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.